# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 77/2002

वादीगण :-

1. नोरत पुत्र श्री देवा
2. बद्री पुत्र श्री देवा
3. चुन्नी बेवा श्री देवा

जातियात-बावरी, निवासी-रास
तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. भेराराम पुत्र भंवरूराम
2. नाथूराम पुत्र भंवरूराम
3. गणपतराम पुत्र देवाराम
4. दीपाराम पुत्र देवाराम
5. अमराराम पुत्र देवाराम
6. इचिया बेवा देवाराम
   जातियान - माली
7. पूना पुत्र हीरा
8. सायरी बेवा मांगिया उर्फ मंगा
   जातियान-बावरी,निवासी-रास
   तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)
9. तहसीलदार, जैतारण
   तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

**राजस्व वाद बाबत् घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं तकासमा आराजी अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

तारीख रजू:.17.07.2002

उपस्थितः. 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री शिवरतन राज भण्डारी एवं श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्तागण, प्रतिवादीगण।

**-:: निर्णय ::-** दिनॉकः- 04/07/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं तकासमा आराजी अन्तर्गत धारा 88, 92ए एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि सरहद मौजा-रास-।, पटवार हल्का-रास-प्रथम, तहसील-जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की बेरा-कुरातियां व उसका जाव में खसरा नम्बर 11, 88, 89, 86 कुल किता-4 कुल रकबा 50-12 बीघा की आई हुई हैं। उक्त भूमि के 1/2 हिस्से के रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार वादीगण हैं। उक्त आराजी के 1/2 हिस्से पर वादीगण उनके पिता, प्रपिता यानि बाप-दादों के समय से काबिज हैं व कश्त करते हैं। वादीगण के 1/2 हिस्से की जमीन मौके पर बंटी हुई हैं। जिस पर वादीगण का अलग से कब्जा व काश्त हैं व कुआं पर से वादी अपने 1/2 हिस्से का आधा पानी बारी से निकाल कर अपनी जमीन की पिलाई करता आ रहा हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने की दिनांक 15/10/1955 को उक्त विवादित जमीन के 1/2 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार होने से धारा 15 आरा.टी.एक्ट

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)



Scanned by CamScanner

1955 के अनुसार वादगण विवादित आराजी के 1/2 हिस्से के खातेदार सायरी के स्व. पति मांगिया के पिता हीरा एक दादा की संतान थे व काका-बाबा के भाईथे। यह पुश्तैनी बेरा व जमीन में सैटलमेन्ट के पूर्व में 1/2 हिस्से पर वादीगण के प्रपिता धूला काबिज थे व काश्त करते थे व 1/2 हिस्से पर पूना व मांगिया काश्त करते थे। मगर बन्दोबस्त के समय धूला के 1/2 हिस्से की जगह 1/3 हिस्से व पूना तथा मांगिया का 1/2 हिस्से के स्थान पर प्रत्येक का 1/3 हिस्सा कुल का 2/3 हिस्सा गलत रूप से दर्ज हो गया। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 7 व 8 जाति से बावरी हैं व अनूसूचित जाति के सदस्य हैं। शेड्यूल कास्ट एवं शैड्यूल ट्राइब ऑडर (एम्बेन्मेंट) एक्त 1976 जो केन्द्रीय गजट में 20 सितम्बर 1976 को प्रकाशित हुआ, तब से यानि 20/09/1976 से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 7 पूना व 8 सायरी अनुसूचित जाति के सदस्य हो गये व अनुसूचित जाति के अन्दर सम्मिलित कर लिए गये हैं। प्रतिवादी संख्या 7 व 8 ने एक लिखित बेचान दिनांक 15/02/1977 को विवादित कृषि भूमि के 1/2 हिस्से का जिसमें पूना द्वारा स्वयं का 1/4 हिस्सा होना स्वीकार कर व प्रतिवादी संख्या 8 सायरी ने 1/4 हिस्सा स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 7 व 8 ने कुल विवादित कृषि भूमि के 1/3 हिस्से की जमीन का बेचान प्रतिवादी संख्या 3 गणपत एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के पिता दोवाराम व प्रतिवादी संख्या 6 के पति देवाराम के पक्ष में बएवजाने रूपये 4500/- में विवादित जमीन के 1/2 हिस्से का लिखित बेचान तकमील करवाकर उप पंजीयन अधिकारी जैतारण के यहां दिनांक 24/03/1997 को पंजीयन करवाया। उक्त बेचान के आधार पर म्यूटेशन संख्या 1480 1/2 हिस्सा का भरा गया। मगर इस म्यूटेशन के पास होने के बाद में 1/2 हिस्से में कांट-छांट कर व रेकर्ड को टेम्परविद कर 2/3 ऑवर राइटिंग कर दिया गया। गणपत व देवाराम व देवाराम की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 3 से 6 का नाम बतौर देवाराम के उत्तराधिकार के भी दर्ज हुआ। प्रतिवादी संख्या 3 से 6 ने जरिए लिखत 27/05/2002 को विवादित आराजी के 2/3 हिस्से के लिखत पंजीबद्ध बेचान प्रतिवादी 248000/- में बेचान लिखत तकमील करवाकर उप पंजीयन अधिकारी जैतारण से बेचान रजिस्ट्री का पंजीयन कराया गया। प्रतिवादी संख्या 7 व 8 ने प्रतिवादी संख्या 3 से 6 को 1/2 हिस्से की जमीन का ही बेचान किया। इसलिए यह बेचान रजिस्ट्री 2/3 हिस्से की है ही नहीं। इसलिए प्रतिवादी संख्या 3 से 6 का 2/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रतिवादी संख्या 3 से 6 का 1/2 हिस्से ही खरीदसुदा हैं, तो भी धारा 42 आर.टी.एक्ट के अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति से माली सवर्ण जाति को किया गया पंजीबद्ध बेचान प्रभाव शून्य हैं, अवैध व गैर कानूनी हैं तथा नल एण्ड वॉइड हैं। इससे प्रतिवादी संख्या 3 से 6 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। प्रतिवादी संख्या 3 से 6 द्वारा जब कोई अधिकार थे ही नही तो उनके द्वारा पश्चात्वर्ति प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में दिनांक 27/05/2002 को तकमील कर बेचान कराया गया बेचाननामा नल एण्ड वॉइड व प्रभाव शून्य हैं। वादीगण का विवादित आराजी में 1/2 हिस्सा बतौर खातेदार काश्तकार हैं। उनके इस हिस्से के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 3 से 6 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में 2/3 हिस्से का लिखत पंजीबद्ध बेचान 27/05/2002 अवैध व प्रभाव शून्य एवं नल एण्ड वॉइड हैं। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बेचान दिनांक 27/05/2002 के अनुसार वादीगण को उनके 1/2 हिस्से की जमीन से बेदखल करने पर आमादा हैं। वादीगण अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्ति हैं व

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)



Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण सवर्ण जाति के होने से पैसे व ताकत के बल पर वादीगण को बेदखल करने पर आमादा हैं। यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को बेदखल कर दिया गया तो वादीगण को असीम हानि होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हैं। अतः वादीगण को उक्त विवादित भूमि के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज कराया जावें तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसी घोषणा फरमावें तथा वादीगण का विवादित भूमि के 1/2 हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जे अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा कराया जाकर वादीगण के हिस्से की भूमि मौके पर अलग कर नेखमबन्दी कर पत्थरगढ़ी कराई जावें तथा खाता व लगान अलग-अलग करवाकर नक्शे में अलग-अलग दर्शाया जावें तथा वादीगण की खातेदार एवं कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जावें तथा दौराने दावा वादीगण को उनके 1/2 हिस्से की जमीन या उसके किसी भाग से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा बेदखल कर दिया जावें तो उस भू-भाग का कब्जा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

इस पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस् वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 व 6 ने दिनांक 23/06/04 को राजीनामा पेश किया, जिसे तस्दीक किया जाकर पत्रावलीबद्ध कराया गया तथा प्रतिवादी संख्या 7 ने इकबालिया जबाबदावा दिनांक 16/07/02 को पेश किया, जिसे पत्रावलीबद्ध कराया गया तथा प्रतिवादी संख्या 9 बावजूद इतला अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 17/08/04 को लिया गया।

बहस वकुलाय सुनी गई। वकील वादीगण ने दौराने बहस व्यक्त किया कि पक्षकारान् ने राजीनामा पेश कर दिया हैं। अतः माफिक राजीनामा दावा डिक्री फरमावें। वकील प्रतिवादीगण को इस पर कोई आपति नहीं हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकुलाय की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया गया नामान्तरकरण संख्या 962 धूला फौत होने पर उसकी आराजी उसके पुत्र देवा के नाम दर्ज की गई। खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2011 से 2020 में धूला वल्द भीका का 1/3 हिस्सा दर्ज हैं। प्रतिवादी संख्या 7 पूना व प्रतिवादी संख्या 8 सायरी द्वारा दिनांक 15/02/77 को प्रतिवादी संख्या 3 से 6 के पिता व पति को बेचान किया गया हैं। जबकि अधिसूचना दिनांक 20/09/1976 के अनुसार बावरी जाति-को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया गया हैं। दोनों पक्षकारान् द्वारा राजीनामा पेश कर रिकॉर्ड में दुरूस्ती चाही हैं। नकल जमाबन्दी संवत् 2032 से 2035 में हिस्से स्पष्ट अंकित नहीं हैं। नकल जमाबन्दी संवत् 2036 से 2039 में हिस्से में कांट-छांट की गई हैं। बन्दोबस्त खतौनी सं0 2011 से 2030 में 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा दर्ज हैं। उपरोक्त दस्तावेजात से स्पष्ट हैं कि हिस्से अंकन में कांट-छांट की गई, जो गलत हैं। काबिले दुरूस्ती से दोनों पक्ष सहमत हैं तथा 1/2-1/2 हिस्सा पूर्व में ही होना बताया हैं। इसे ही दुरूस्त कराकर वादीगण व प्रतिवादीगण 1/2-1/2 हिस्सा दर्ज कराना चाहते हैं। अतएव वादीगण जरिए राजीनामा अपना वाद डिक्री करवाने के अधिकारी हैं एवं उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा-रास-I, पटवार हल्का-रास-प्रथम, तहसील-जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी एवं कब्जे

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

काश्त की बेरा-कुरालियां व उसका जाव में खसरा नम्बर 11, 88, 89, 86 कुल किता-4 कुल रकबा 50-12 बीघा भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की है, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बॉउण्ड्स करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2007/227 दिनांक 19/03/2007 एवं स्मरण पत्र-11 पत्रांक/कोर्ट /08/32 दिनांक 10/01/2008, डी0ओ0 पत्रांक/कोर्ट /10/351 दिनांक 19/4/2010, स्मरण पत्र-5 पत्रांक/कोर्ट /11/536 दिनांक 11/04/2011, स्मरण पत्र-6 पत्रांक/कोर्ट /12/907 दिनांक 19/04/2012, स्मरण पत्र-7 पत्रांक/कोर्ट/13/1564 दिनांक 26/09/2013 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपनी मौका फर्द दिनांक 04/07/2015 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

प्राथमिक डिक्री प्रस्ताव पर बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की है। वकील मय प्रतिवादीगण ने भी माफिक विभाजन-प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने में कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की अर्थात् सहमति व्यक्त की है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 04/07/2015 वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

## -:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-रारा-I, पटवार हल्का-रारा-प्रथम, तहसील-जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की बेरा-कुरालियां व उसका जाव में खसरा नम्बर 11, 88, 89, 86 कुल किता-4 कुल रकबा 50-12 बीघा की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है :-

| क्र. सं. | नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत | खसरा नम्बर | रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नोरत बदी पि0 देवाराम चुनी बेवा देवाराम कौम-बावरी सा0 देह खातेदार। रहन-नोरत व चुनी का हि0 एम. जी.बी. शाखा-रारा चुनी फौत के का0मु0 नोरत बदी पि0 देवाराम, नर्बदा हाली पुत्रियां देवाराम | 11 | 11-12-00 | चा0सो0 | 9.75 रू. |
| 2 | भेराराम पुत्र भंवरू नाथूराम पुत्र भंवरू कौम-माली सा0 देह खातेदार। | 11/1 | 11-13-00 | चा0सो0 चा0सो0 चा0सो0 | 9.75 रू. |
| 3 | नोरत बदी पि0 देवाराम चुनी बेवा देवाराम कौम-बावरी सा0 देह खातेदार। रहन-नोरत व चुनी का हि0 एम. जी.बी. शाखा-रारा चुनी फौत के का0मु0 नोरत बदी पि0 देवाराम, नर्बदा हाली पुत्रियां देवाराम | 89<br>88 | 5-00-00<br>8-12-00 | चा0सो0 | |
| | योग | 2 | 13-12-00 | | |



Scanned by CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | गणपत दिपाराम अमराराम पि0 देवाराम इचिया बेवा देवाराम गणपत पुत्र देवाराम कौम–माली सा0 देह खातेदार। इचिया फौत के का0मु0 गणपत दिपाराम अमराराम पि0 देवाराम सुगनाई मेगली मुनी राजू पुत्रियां देवाराम | 88/1 | 13-12-00 | चा0सो0 | |
| 5 | नोरत बद्री पि0 देवाराम चुनी बेवा देवाराम कौम–बावरी हि0 1/2, गणपत दिपाराम अमराराम पि0 देवाराम इचिया बेवा देवाराम गणपत पुत्र देवाराम कौम–माली हि0 1/2 सा0 देह खातेदार। इचिया फौत के का0मु0 गणपत दिपाराम अमराराम पि0 देवाराम सुगनाई मेगली मुनी राजू पुत्रियां देवाराम। चुनी फौत के का0मु0 नोरत बद्री पि0 देवाराम, नर्बदा हाली पुत्रियां देवाराम। रहन–नोरत व चुनी का हि0 एम. जी.बी. शाखा–सारा | 86 | 0-03-00 | गै.मु.बेरा | |

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। अन्तिम डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को अंतिम डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 04/07/2015 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

# डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादीगण :-

1. नोरत पुत्र श्री देवा
2. बद्री पुत्र श्री देवा
3. चुन्नी बेवा श्री देवा

जातियात-बावरी, निवासी-रास
तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. भेराराम पुत्र भंवरूराम
2. नाथूराम पुत्र भंवरूराम
3. गणपतराम पुत्र देवाराम
4. दीपाराम पुत्र देवाराम
5. अमराराम पुत्र देवाराम
6. इंदिया बेवा देवाराम
   जातियान - माली
7. पूला पुत्र हीरा
8. सायरी बेवा मांगिया उर्फ मंगा
   जातियान-बावरी,निवासी-रास
   तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)
9. तहसीलदार, जैतारण
   तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

मु0न0 :रा0वा0 स0:77/2002

**राजस्व वाद बावत् घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं तकासमा आराजी अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई व श्री शिवरतन राज भण्डारी एवं श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्तागण, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-रास-I, पटवार हल्का-रास-प्रथम, तहसील-जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की बेरा-कुरातियां व उसका जाव में खसरा नम्बर 11, 88, 89, 86 कुल किता-4 कुल रकबा 50-12 बीघा की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

| क्र. सं. | नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत | खसरा नम्बर | रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नोरत बद्री पि0 देवाराम चुनी बेवा देवाराम कौम-बावरी सा0 देह खातेदार।<br>रहन-नोरत व चुनी का हि0 एम. जी.बी. शाखा-रास<br>चुनी फौत के का0मु0 नोरत बद्री पि0 देवाराम, नर्बदा डाली पुत्रियां देवाराम | 11 | 11-12-00 | चा0सो0 | 9.75 रू. |
| 2 | भेराराम पुत्र भंवरू नाथूराम पुत्र भंवरू कौम-माली सा0 देह खातेदार। | 11/1 | 11-13-00 | चा0सो0<br>चा0सो0<br>चा0सो0 | 9.75 रू. |
| 3 | नोरत बद्री पि0 देवाराम चुनी बेवा देवाराम कौम-बावरी सा0 देह खातेदार।<br>रहन-नोरत व चुनी का हि0 एम. जी.बी. शाखा-रास<br>चुनी फौत के का0मु0 नोरत बद्री पि0 देवाराम, नर्बदा डाली पुत्रियां देवाराम | 89<br>88 | 5-00-00<br>8-12-00 | चा0सो0 | |
| योग | | 2 | 13-12-00 | | |

उप खण्ड अधिकारी
जैतारण, (पाली)



Scanned by CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | गणपत दिपाराम अमराराम पि0 देवाराम इचिया बेवा देवाराम गणपत पुत्र देवाराम कौम–माली सा0 देह खातेदार। इचिया फौत के का0मु0 गणपत दिपाराम अमराराम पि0 देवाराम सुगनाई मेमली मुनी राजू पुत्रियां देवाराम | 88/1 | 13-12-00 | चा0सो0 | |
| 5 | नोरत बद्री पि0 देवाराम चुनी बेवा देवाराम कौम–बावरी हि0 1/2, गणपत दिपाराम अमराराम पि0 देवाराम इचिया बेवा देवाराम गणपत पुत्र देवाराम कौम–माली हि0 1/2 सा0 देह खातेदार। इचिया फौत के का0मु0 गणपत दिपाराम अमराराम पि0 देवाराम सुगनाई मेमली मुनी राजू पुत्रियां देवाराम। चुनी फौत के का0मु0 नोरत बद्री पि0 देवाराम, नर्वदा डाली पुत्रियां देवाराम। रहन–नोरत व चुनी का हि0 एम. जी.वी. शाखा–रास | 86 | 0-03-00 | गै.मु.बेरा | |

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलब्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 04/07/2015 की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ... .–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 04/07/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

---

| मुद्धई | रूपये | पैसे | मुद्धायलाह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 01 | 00 | स्टाम्प वकालतनामा | 05 | 00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 01 | 00 | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | 11 | 00 | महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | – | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | 04 | 00 | फीस कमीश्नर | | |
| फीस कमीश्नर | | | बाबत ईजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत ईजराय हुक्मनामा | | | मुत्फरिक | | |
| मिजानः– | 17 | 00 | मिजानः– | 05 | 00 |

---

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner